न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 33/2023

1 भंवरलाल उम्र 75 साल पुत्र मदनलाल जाति ब्राह्मण निवासी टमकोर हाल निवासी रावतसर जिला चुरू।

अपीलांटस

बनाम

1 महावीरप्रसाद उम्र 64 साल
2 रतिराम उम्र 66 साल
3 करणीराम उम्र 57 साल पुत्रगण स्व. बिशनाराम जाति जाट निवासी विजयपुरा तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
4 रोहिताश पुत्र मदनलाल जाति ब्राह्मण निवासी टमकोर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
5 तुलसी देवी उम्र 45 साल पत्नी
6 राजेश उम्र 30 साल पुत्र
7 सुभाष उम्र 22 साल पुत्र
8 दिनेश उम्र 20 साल पुत्र स्व. ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी रावतसर जिला चुरू।
9 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा टमकोर जरिये शाखा प्रबंधक
10 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अ.धारा 223 राजस्थान काश्त. अधि.
उनवानी मुकदमा महावीर प्रसाद बनाम ओमप्रकाश वगे.
मु.नं. 83/2021 अ.धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर तारीख
फैसला दिनांक 20.07.2022

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री रोताश कुमार कुल्हरि, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विक्रम दुलड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 12/5/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा मुकदमा नम्बर 83/2021 में पारित निर्णय दिनांक 20.07.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट ने एक प्रार्थना पत्र अ. धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधनियम 1955 बाबत भूमि खसरा नम्बर 903, 904, 911 वाके ग्राम टमकोर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 3 ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर के एक आवेदन पत्र अ.धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि वाके ग्राम टमकोर पटवार हल्का टमकोर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 903 रकबा 0.58 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 904 रकबा 4.35 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 911 रकबा 1.95 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 6.88 हैक्टेयर स्थित है। जिसमें रेस्पोडेन्ट संयुक्त खातेदार काश्तकार है व अपनी भूमि में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 912 में से 4 मीटर चौड़ा रास्ता खोहरी से जवारपुरा जाने वाले रास्ता जिसको नजरी नक्शे में ए से बी दिखाया गया व कहा कि कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नहीं है। न्यायालय द्वारा तलबी जारी की गई जो टमकोर के पते पर जारी की गई। अपीलान्ट व उसके भाई ओमप्रकाश व रोहिताश सभी अपने गांव रावतसर जिला चुरू में निवास करते है ओमप्रकाश की मृत्यु

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

दिनांक 04.10.2022 को हो चुकी है। उसके वारिसान रेस्पोडेन्ट नम्बर 5 लगायत 8 को परफोरमा रेस्पोडेन्ट बनाया गया है व रेस्पोडेन्ट नम्बर 4 रोहिताश को भी पक्षकार बनाया गया है जमीन हाल खसरा नम्बर 912 के खातेदार काश्तकार अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 4 लगायत 8 है व जमीन हाल खसरा नम्बर 912 में रेस्पोडेन्ट द्वारा दर्शाये गये नजरी नक्शे में ए. से बी. स्थान पर कभी भी कोई रास्ता नहीं रहा है। ग्राम खोहरी से जवाहरपुरा जाने वाला रास्ता रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 3 के वैकल्पिक रास्ता है अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 4 लगायत 8 को रजिस्ट्री नोटिस ग्राम टमकोर हेतु जारी हुए है मगर उनकी जमीन ग्राम टमकोर में स्थित है अगर वह कस्बा रावतसर जिला चुरू में ही निवास करते है रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 3 ने तहसीलदार व पटवारी से मिलकर खसरा नम्बर 912 से गलत रूप से रास्ता दिखाकर मौके की गलत रिपोर्ट पेश कर अपीलान्ट को नुकसान पहुचाने के आशय से रास्ते का जमीन खसरा नम्बर 912 में 4 मीटर का गलत कटान किया गया है व अपीलान्ट को बिना सुनवाई का मौका दिये बिना विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश विधि विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है। दिनांक 18.12.2022 को पटवारी हल्का टमकोर द्वारा फोन किया कि आपने जमीन में से रास्ते कटान का आदेश हो चुका है व आपकी डीएलसी रेट की राशि न्यायालय में जमा है जो आप प्राप्त कर सकते है तब अपीलान्ट द्वारा नकल लेकर पता करने पर विचारण न्यायालय के आदेश का पता लगने पर वकील से मिलकर अपील पेश करनी आवश्यक हुई है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थित में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की सम्यक तामील हुई है। सम्यक तामील के उपरांत अनुपस्थित रहने पर अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी * सीकर * प्रबंधक

विचारण न्यायालय में अपीलांट के अलावा अपीलांट के भाई ओमप्रकाश एवं रोहिताश भी पक्षकार थे। उनके द्वारा विचाराधीन निर्णय को चुनौती नहीं दी गई है। विचारण न्यायालय द्वारा धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त की है। मौका रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन है कि खसरा नम्बर 903, 911, 904 में आवागमन हेतु इन खसरा नम्बरान के आसपास कोई कटानी रास्ता नहीं है। वादीगण का खेत ग्राम खोहरी की सीमा के पास स्थित है। ग्राम खोहरी से जुहारपुरा जाने वाला प्रचलित रास्ता खसरा नम्बर 912 व 902 में से होकर गुजरता है। जो वादीगण के खेत के उत्तर दिशा में है। नजरी नक्शा में दर्शित बिन्दु संख्या सी से डी के बीच की दुरी 88 मीटर है व चौड़ाई 4 मीटर है। आवेदक को अपनी खातेदारी काश्तकारी भूमि में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 912 में से होकर गुजरने वाले रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार मलसीसर की जांच रिपोर्ट से होती है। विचारण न्यायालय ने रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता प्रकट होने पर विधिक प्रक्रिया अनुसार मौका रिपोर्ट प्राप्त कर निकटतम रास्ता प्रदान किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील मियाद बाहर है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय में अपीलांट की सम्यक तामील हुई है। सम्यक तामील के उपरांत अनुपस्थित रहने पर अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। विचारण न्यायालय में अपीलांट के अलावा अपीलांट के भाई ओमप्रकाश एवं रोहिताश भी पक्षकार थे। उनके द्वारा विचाराधीन निर्णय को चुनौती नहीं दी गई है। विचारण न्यायालय द्वारा धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

के अनुसार तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त की है। मौका रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन है कि खसरा नम्बर 903, 911, 904 में आवागमन हेतु इन खसरा नम्बरान के आसपास कोई कटानी रास्ता नहीं है। वादीगण का खेत ग्राम खोहरी की सीमा के पास स्थित है। ग्राम खोहरी से जुहारपुरा जाने वाला प्रचलित रास्ता खसरा नम्बर 912 व 902 में से होकर गुजरता है। जो वादीगण के खेत के उत्तर दिशा में है। नजरी नक्शा में दर्शित बिन्दु संख्या सी से डी के बीच की दुरी 88 मीटर है व चौड़ाई 4 मीटर है। आवेदक को अपनी खातेदारी काश्तकारी भूमि में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 912 में से होकर गुजरने वाले रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार मलसीसर की जांच रिपोर्ट से होती है। विचारण न्यायालय ने रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता प्रकट होने पर विधिक प्रक्रिया अनुसार मौका रिपोर्ट प्राप्त कर निकटतम रास्ता प्रदान किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 12/5/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार ...)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर